पंजीयन क्रमांक भोपाल/मुख्यालय/198 दिनांक 13/5/80

एम पी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि० भोपाल

उपविधियां

नाम, पता एवं कार्यक्षेत्र

1. इस संस्था का नाम "एम पी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि० भोपाल" होगा। अंग्रेजी में यह नाम "M. P. State Cooperative Dairy Federation Ltd. Bhopal" होगा । इसे संक्षिप्त में "एम.पी.सी.डी.एफ." कहा जावेगा । अंग्रेजी में यह संक्षिप्त नाम " M.P.C.D.F." कहा जावेगा ।

1.2. "एम.पी.सी.डी.एफ." का पंजीकृत पता, 18—बी, महाराणा प्रताप नगर झोन–2 पोस्ट भोपाल तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल –462011 होगा ।

टीप:— पंजीकृत पते में कोई भी परिवर्तन 30 दिनों में पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्य प्रदेश भोपाल को सूचित किया जावेगा । साथ ही कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में अवश्य ही प्रकाशित किया जावेगा ।

1.3 एम.पी.सी.डी.एफ. का कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन उपरांत अस्तित्व में आया संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य होगा ।

2.0 परिभाषायें

2.1 "एम.पी.सी.डी.एफ." से तात्पर्य "एम पी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि० भोपाल" से होगा ।

2.2 "संचालक मंडल" से तात्पर्य इन उपविधियों के अन्तर्गत गठित, निर्वाचित अथवा नामांकित संचालक मंडल से होगा।

2.3 "अध्यक्ष" से तात्पर्य एम.पी.सी.डी.एफ. के अध्यक्ष से होगा ।

2.4 "प्रबंध संचालक" से तात्पर्य है म. प्र. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 49(डी) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति जिसे एम.पी.सी.डी.एफ. के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन रहते हुये संचालक मण्डल द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. के कार्य कलापों का प्रभार सौंपा गया है

2.5 "अधिनियम" से तात्पर्य मध्य प्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960(1961 का 17वां) एवं बाद में हुये संशोधनों से होगा ।

2.6 "नियम" से तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बने मध्य प्रदेश सहकारी संस्था नियम 1962 एवं बाद में हुये संशोधनों से होगा ।

2.7 "पंजीयक" से तात्पर्य पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्य प्रदेश अथवा उन अधिकारियों से होगा जिन्हें मध्य प्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के आधीन इस समिति से संबंधित पंजीयक के अधिकार प्रदत्त किये गये हों ।

2.8 "दुग्ध उत्पाद" (डेरी प्रोडक्ट) से तात्पर्य दूध तथा दूध के कोई भी सह उत्पादनों (एलाईड मिल्क प्रोडक्ट) से होगा ।

2.9 "वस्तुओं" से तात्पर्य दूध पदार्थ, पशु आहार, कच्चा या प्रक्रिया किया हुआ कृषि उत्पादन, दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों तथा उनके वेस्ट (waste) प्रोडक्टस, को सुरक्षित रखने के आवरण अथवा उपकरण सामग्री, औजार एवं संयंत्र भी होगा ।

2.10 "साधारण सभा" में विशेष साधारण सभा भी सम्मिलित होगी ।

2.11 "डेरी बोर्ड" से तात्पर्य राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द से होगा ।

2.12 "दुग्ध संघ" से तात्पर्य क्षेत्रीय दुग्ध संघ (सहकारी) मर्यादित से होगा ।

2.13 इन उपविधियों में जिन शब्दों एवं पदावली की परिभाषा नहीं दी गई है किन्तु यदि अधिनियम एवं नियम में उसकी परिभाषायें दी गई है तो उनका वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम एवं नियम में दिया गया है।

2.14 "प्रतिनिधि" से तात्पर्य है एम.पी.सी.डी.एफ. का कोई ऐसा सदस्य जो एम.पी.सी.डी.एफ. का प्रतिनिधित्व अन्य संस्था में करे।

3.0 **उद्देश्य**

3.1 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा कृषकों एवं पशुपालकों के आर्थिक विकास के लिये दूध और दूध से बने पदार्थों के प्रभावी उत्पादन, संकलन, प्रक्रियण निर्माण, वितरण तथा विपणन के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों का संचालन करना। दुग्ध उत्पादन [illegible] पशुओं के विकास [illegible] पशुओं

के आर्थिक विकास के लिये तथा इस हेतु जरूरी एवं सहयोगी गतिविधियों के विस्तार एवं विकास के लिये कार्य करना ।

3.2 उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ती हेतु एम.पी.सी.डी.एफ. समस्त आवश्यक कार्य करेगा तथा विशेष रूप से निम्न कार्य करेगा :–

3.2.1 व्यवसाय को चलाने के लिये भवन, संयंत्र तथा अन्य सहायक उपकरण खरीदना और/अथवा निर्माण करना ।

3.2.2 दुग्ध पदार्थों और सहयोगी उत्पादनों के संकलन और विपणन से संबंधित परस्पर हितों की समस्याओं का अध्ययन करना ।

3.2.3 सदस्यों के हितों को प्रभावित किये बिना सदस्यों, दुग्ध संघों अथवा अन्य स्रोतों से "वस्तुयें" खरीदना, उनका एकत्रण (पूल) प्रक्रियण, निर्माण, वितरण एवं विपणन करना, संतुलित पशु आहार के निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था करना और इस उद्देश्य के लिये अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी भी जिले में दुग्ध संकलन केन्द्र, दुग्ध शीतलकरण केन्द्र दुग्ध प्रक्रिया संयंत्र, दुग्ध एवं अन्य सहयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु कारखाना, पशु आहार प्रक्रियण संयंत्र, गोदाम आदि का निर्माण करना।

3.2.4 अनुसंधान तथा खोज कार्य करने वाली तथा गुणवत्ता नियंत्रित करने वाली संस्थाओं की स्थापना करना ।

3.2.5 पशु चिकित्सा सहायता तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवायें उपलब्ध करना, पशु स्वास्थ्य एवं विकास सेवाओं तथा पशुओं के रोग नियंत्रक रोकओं में वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पशु विकास गतिविधियां संचालित करना ।

3.2.6 दूध, दूध से निर्मित अन्य सभी प्रकार के सह उत्पादों तथा वस्तुओं के यातायात की आवश्यक एवं प्रभावी व्यवस्था करना ।

3.2.7 प्रबंध, पर्यवेक्षण तथा अंकेक्षण कार्यों के सभी पहलुओं में सदस्य दुग्ध संघ को सलाह, मार्गदर्शन सहायता तथा नियंत्रण सुलभ कराना तथा इस हेतु फीस निर्धारित कर वसूल करना। ।

3.2.8 आवश्यकतानुसार कच्चा माल, उसके प्रक्रियण अथवा तैयार किये गये माल के आयात संबंधी प्रावधान आदि कार्य करना और/या क्रय करने में सहयोग देना अथवा [illegible] निर्माण करना अथवा किसी से सहयोग [illegible]

3.2.9 सदस्य दुग्ध संघों और समितियों के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

3.2.10 संघ के व्यवसाय संपादन हेतु चल व अचल संपत्ति खरीदना या प्राप्त करना या लीज पर लेना या किराये पर लेना तथा जब वे संघ के व्यवसाय हेतु आवश्यक न रह जाये तो उनका निपटारा करना/बेचना ।

3.2.11 अपने उत्पादन को स्वयं के व्यापार चिन्ह/मार्का से या सदस्यों संघों के व्यापार चिन्ह/मार्का से विपणन करना। सदस्यों के हितों को प्रभावित किये बिना अन्य राज्य सहकारी महासंघ/फेडरेशन के ऐसे सभी उत्पादों का जिनका उत्पादन सदस्य दुग्ध संघों द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्रय/वितरण कर सीधे उनके/अपने या संयुक्त मार्का से विपणन की व्यवस्था कर सर्विस चार्ज/कमीशन आदि प्राप्त करना।

3.2.12 प्राथमिक समितियों के गठन के कार्य को बढ़ाना तथा प्राथमिक समितियों के संगठन में सदस्यों की सहायता करना तथा विकास करना । सदस्यों के अनुरोध पर अथवा पंजीयक द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने पर उनका पूर्ण या आंशिक प्रशासन या प्रबंध करना ।

3.2.13 एम.पी.सी.डी.एफ. और सदस्य दुग्ध संघों के संकलन एवं उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के लिये तथा उसकी प्रभावी बिक्री के लिये विकासात्मक नीतियां और कार्यान्वयन में सहायता देना ।

3.2.14 सदस्य दुग्ध संघों को प्रबंध, तकनीकी, प्रशासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना तथा आवश्यकता होने की स्थिति में किसी के साथ सहयोग/अनुबंध करना ।

3.2.15 सदस्य दुग्ध संघों को मूल्य निर्धारण, जन संपर्क एवं अन्य विषयों पर सलाह देना ।

3.2.16 कर्मचारियों के कल्याण एवं सहायतार्थ न्यास (trust) बनाना तथा निधियां निर्माण करना।

3.2.17 सदस्य दुग्ध संघों और उनसे संबद्ध समितियों का समय-समय पर पर्यवेक्षण करना, अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत इनके वैधानिक अंकेक्षण की व्यवस्था करना ।

3.2.18 सभी प्रकार के शोध तथा विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना, स्वयं [illegible] प्रत्यक्ष रूप से अथवा मान्य संस्थाओं के माध्यम से सहयोग देना ।

3.2.19 स्वतंत्र अस्तित्व वाली शोध तथा विकास संस्थाओं की स्थापना करना और उनकी निधियों में योगदान देना और उसके लिये सदस्यों तथा अन्य से धनराशि एकत्र करना ।

3.2.20 बचत योजनाओं को संगठित एवं प्रोत्साहित करना तथा सहकारिता आन्दोलन के सिद्धांतों एवं लाभों को प्रसारित करना ।

3.2.21 सदस्य दुग्ध संघों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये एक रूप सेवा संवर्ग बनाना तथा उसका संचालन करना ।

3.2.22 पंजीयक के निवेदन पर अपने सदस्य दुग्ध संघों के प्रशासक के रूप में कार्य करना तथा अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत दर्शाई गई खास परिस्थितियों में किसी सदस्य संस्था अथवा दुग्ध संघ का आंशिक अथवा पूर्ण प्रबंध का भार लेना ।

3.2.23 सदस्य दुग्ध संघों तथा उनसे संबद्ध समितियों के सदस्यों के द्वारा पशुओं के लिये हरी चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करना एवं आवश्यक सहायता की व्यवस्था करना।

3.2.24 क्षेत्र में नस्ल सुधार कार्यक्रमों को चलाने के लिये आवश्यकतानुसार पशुओं को प्राप्त करना तथा समुचित पालन पोषण करना ।

3.2.25 सदस्य दुग्ध उत्पादकों द्वारा दुधारू पशु क्रय करने में सहायता करना ।

3.2.26 अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समान उद्देश्य के किसी भी संस्थान अथवा सहकारी संस्था को पूर्ण रूप से (उसकी संपूर्ण संपत्ति एवं दायित्वों सहित) क्रय करना, अधिग्रहण करना, स्वामित्व ग्रहण करना अथवा उसके अंश खरीदना ।

4.0 पूंजी और निधियां

संघ की निधियां निम्न प्रकार से एकत्र की जावेंगी ।

4.1 अंश राशि

4.2 ऋण-पत्र

4.3 निक्षेप (डिपाजिट)

4.4 ऋण

4.5 अनुदान (ग्रान्ट) सहायता (सबसिडी)

4.6 दान (उपहार और भेंट)

4.7 अर्जित लाभ में से कोष निर्माण कर

4.8 **प्रवेश शुल्क**

4.9 **एम.पी.सी.डी.एफ. की अधिकृत अंशपूंजी 10 करोड़ रुपये होगी जो कि 10 हजार रुपये के 10 हजार अंशों में विभाजित या विभक्त होगी ।**

4.9.1 संचालक मंडल द्वारा समय–समय पर सदस्य दुग्ध संघों को अंशों का आवंटन किया जावेगा तथा उसकी राशि दुग्ध संघों द्वारा निर्धारित अवधि में जमा करायी जावगी ।

4.10 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा ऋण–पत्र, निक्षेप (अमानत) एवं ऋण के रूप में प्राप्त राशि अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुरूप प्रदत्त अंशपूंजी तथा रक्षित निधि एवं अन्य निधियों के योग में से संकलित हानि कम करने के पश्चात शेष राशि के दस गुने से अधिक नहीं होगी ।

5.0 **सदस्यता**

5.1 एम.पी.सी.डी.एफ. की सदस्यता निम्नानुसार होगी:

5.1.1 भारत शासन/राज्य शासन/राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड/प्रादेशिक शीर्ष संघों का राष्ट्रीय संघ ।

5.1.2 साधारण

5.1.3 नाममात्र

5.1.4 एम.पी.सी.डी.एफ. के कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त पंजीकृत दुग्ध संघ साधारण सदस्यता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

5.1.5 एम.पी.सी.डी.एफ. से व्यवसाय करने वाला कोई भी संस्थान या व्यक्ति जो उपविधि क्रमांक 5.1.1 एवं 5.1.2 की श्रेणी में नहीं आता हो, नाममात्र सदस्य बन सकेगा । नाममात्र की सदस्यता चाहने वाले को एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा निर्धारित फार्म में लिखित में आवेदन पत्र, आवेदन पत्र शुल्क रुपये 10/– तथा वार्षिक सदस्यता

शुल्क रू0 100/–जमा करना होगा । नाममात्र के सदस्यों को एम.पी.सी.डी.एफ. में प्रबंध, मताधिकार तथा लाभ में किसी भी प्रकार की पात्रता नहीं होगी ।

5.1.6 वे दुग्ध संघ जिन्होंने उपविधियां एवं पंजीकरण के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, साधारण सदस्य के रूप में दर्ज किये जावेंगे ।

5.1.7 प्रत्येक सदस्य को सदस्यता प्राप्ति के लिये लिखित में आवेदन करना होगा तथा नाम दर्ज किये जाने के समय आवेदन पत्र के साथ प्रवेश शुल्क रूपये 25/– तथा क्रय किये जाने वाले अंशों की संपूर्ण राशि जमा करानी होगी ।

5.2 प्रारंभ में प्रत्येक सदस्य दुग्ध संघ अंशपूंजी के रूप में रू. 20,000/– के अंश क्रय करेगा ।

5.2.1 समय–समय पर संचालक मंडल द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार एम.पी.सी.डी.एफ. अपने साधारण सदस्यों को उनके द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. के अंश क्रय करने हेतु अनुरोध/निर्देशित कर सकेगा ।

5.2.2 यदि देय तिथि से किसी भी अंश और/अथवा ऋण–पत्र की राशि छः माह तक अदेय रहती है तो संचालक मंडल ऐसे सदस्य के विरूद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा ।

6.0 किसी भी सदस्य का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के दर्शनी मूल्य तक सीमित रहेगा ।

7.0 उपविधि क्रमांक 5.1.1 एवं 5.1.2 के अन्तर्गत एम.पी.सी.डी.एफ. के सदस्यों को छोड़कर कोई अन्य सदस्य एम.पी.सी.डी.एफ. के अंशों में रूपये 6000/– अथवा कुल अंशपूंजी के 1/5 वे भाग से अधिक (इनमें से जो भी कम हो) के अंश अथवा कोई अधिकार अथवा कोई हित धारित नहीं कर सकेगा ।

8.0 जब भी किसी सदस्य द्वारा अंश राशि जमा कर दी जावेगी, उसका अंश प्रमाण–पत्र निर्गमित किया जावेगा ।

8.1 सदस्य द्वारा अंश प्रमाण–पत्र गुम हो जाने की स्थिति में संचालक मंडल के लिखित अनुमोदन से तथा निर्धारित फीस के भुगतान करने पर सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अंश प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रतिलिपि निर्गमित की जा सकेगी

9.0 एम.पी.सी.डी.एफ. की संपत्तियां और निधियां अधिनियम एवं नियमों के अनुसार ही नियोजित की जावेगी ।

10.0 कोई भी सदस्य दुग्ध संघ एक बार एम.पी.सी.डी.एफ. से संबद्ध होने के बाद जब तक कि उसका परिसमापन न हो जावे, पंजीयक की अनुज्ञा के बिना असंबद्ध नहीं हो सकेगा ।

11.0 अधिनियम की धारा 19(सी) के होते हुवे भी संचालक मंडल इस हेतु बुलाई गई बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों की बहुमत से प्रस्ताव पारित कर किसी भी सदस्य को निम्न कारणों में से किसी भी कारण से निकाल सकेगा ।

11.1 यदि वह सतत त्रुटिकर्ता हो और एम.पी.सी.डी.एफ. के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह अवहेलना करता हो ।

11.2 यदि वह झूठे कथनों द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. को जानबूझ कर धोखा देता हो ।

11.3 यदि वह एम.पी.सी.डी.एफ. की साख को क्षति पहुंचाने वाले कार्य को जानबूझ कर करता हो या उसे बदनाम करता हो ।

11.4 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय से संघर्ष उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न होने की संभावना वाले किसी व्यवसाय को करता हो ।

11.5 अपनी देय राशि का भुगतान करने में निरन्तर (persistant) त्रुटि करता हो अथवा उपविधियों के किन्हीं प्रावधानों के पालन में त्रुटि करता है ।

परन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव वैध नहीं माना जावेगा जब तक कि संबंधित सदस्य को प्रत्यक्ष रूप में या पंजीकृत डाक द्वारा उसे निष्कासित किये जाने के प्रस्ताव की 15 दिन पूर्व लिखित सूचना न दी गई हो और उस संबंध में संचालक मंडल के समक्ष उसे सुने जाने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

11.6 निष्कासन किये जाने पर सदस्य द्वारा धारित सभी अंशो को जप्त (forfeit) भी किया जा सकेगा ।

12.0 किसी भी सदस्य द्वारा कम से कम एक वर्ष तक अंश धारण करने के बाद एम.पी.सी.डी.एफ. के संचालक मंडल की अनुमति से अन्य किसी [illegible] को अंशों का हस्तांतरण किया जा सकेगा [illegible]

जावेगा जब तक कि हस्तांतरण हेतु निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया हो और जिसके पक्ष में हस्तांतरण हुआ है उसका नाम अंश हस्तांतरण पंजी में प्रविष्ट नहीं कर लिया जाता है।

13.0 प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक अंश धारण करना होगा ।

14.0 **किसी भी साधारण सदस्य की सदस्यता निम्न कारणों से समाप्त हो सकेगी:**

14.1 त्यागपत्र देने पर ।

14.2 पंजीयन निरस्त होने पर ।

14.3 निष्कासन किये जाने पर ।

14.4 उपविधि क्रमांक 15 में दर्शाये दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होने पर ।

14.5 संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित अंश अथवा ऋणपत्र खरीदने में असफल होने पर।

14.6 कोई भी साधारण सदस्य, जिसकी सदस्यता समाप्त हो गई है, उसके द्वारा भुगतान की गई अंश राशि की वास्तविक सीमा तक, सदस्यता समाप्ति के एक वर्ष के बाद पाने का अधिकार होगा ।

15.0 **सदस्य का दायित्व**

प्रत्येक साधारण सदस्य

15.1 एम.पी.सी.डी.एफ. के निर्देशानुसार संकलन की योजना बनायेगा ।

15.2 एम.पी.सी.डी.एफ. के निर्देशानुसार अपने सभी दुग्ध तथा दुग्ध के सह उत्पादनों का प्रक्रियण, निर्माण एवं विपणन करेगा ।

15.3 निम्न प्रकार की सभी गतिविधियों में एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों एवं योजनाओं का पालन करेगा:–

15.3.1 संकलन ।

15.3.2 विभिन्न व्यापारी चिन्ह/नामों के अन्तर्गत उत्पादन एवं निर्माण ।

15.3.3 अभिविन्यास [illegible]

15.3.4 तकनीकी सेवा/सुविधा (Input) कार्यक्रम ।

15.3.5 प्रशासनीय एवं प्रबंधकीय पहलू।

15.3.6 मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता के स्तर और

15.3.7 कच्चा माल और आवरण (पेकेजिंग) सामान का संकलन ।

15.3.8 उपर वर्णित किये गये और अन्य संबंधित दायित्वों के पालन में किसी सदस्य के असफल होने पर, परिणामस्वरूप एम.पी.सी.डी.एफ. को होने वाली हानियों के लिए उस सदस्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा।

16.0 संगठन एवं प्रबंध

16.1 साधारण सभा

16.2 संचालक मंडल

16.3 प्रबंध संचालक

17.0 साधारण सभा

17.1 अधिनियम नियम एवं उपविधियों के अंतर्गत साधारण सभा में एम.पी.सी.डी.एफ. की सर्वोच्च प्रभुता वेष्ठित होगी।

17.2 साधारण सभा में निम्नानुसार सदस्य होगें ।

17.2.1 प्रत्येक संबद्ध दुग्ध संघ के निर्वाचित एम.पी.सी.डी.एफ प्रतिनिधि एवं ऐसे दुग्ध संघ जिनमें नामांकित संचालक मण्डल/ प्रशासकीय समिति कार्यरत हो, के नामांकित अध्यक्ष ।

17.2.1.1 संचालक मण्डल के सभी नामांकित सदस्य।

17.3 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा प्रत्येक वर्ष, सहकारिता वर्ष समाप्ति के पूर्व तीन माह के भीतर वार्षिक साधारण सभा आयोजित की जावेगी ।

17.4 एम.पी.सी.डी.एफ. का संचालक मण्डल किसी भी समय आवश्यक कार्य के लिये विशेष साधारण सभा की बैठक बुला सकेगा लेकिन [illegible] सदस्यों [illegible] साथ [illegible] सभा की बैठक [illegible]

17.4.1 संचालक मंडल के बहुमत द्वारा मांग किये जाने पर या

17.4.2 कुल सदस्यों के कम से कम 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित मांग किये जाने पर या

17.4.3 पंजीयक से लिखित निर्देश प्राप्त होने पर ।

17.5 पंजीयन के पश्चात सदस्यों की प्रथम बैठक (सभा) को वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि वार्षिक साधारण सभा को दी गई हैं।

18.0 साधारण सभा अन्य विषयों के साथ–साथ निम्न कार्यों पर विचार करेगी:—

18.1 गत साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि करना ।

18.2 संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत बजट तथा वार्षिक कार्य योजना पर विचार ।

18.3 संचालक मंडल से एम.पी.सी.डी.एफ. की 31 मार्च अंत के तलपट के साथ वार्षिक प्रतिवेदन और पिछले वित्तीय वर्ष का लाभ–हानि पत्र प्राप्त करना, वार्षिक पत्रकों पर विचार करना तथा लाभ वितरण को स्वीकृति देना ।

18.4 संचालक मंडल से प्राप्त अंकेक्षण ज्ञापन पत्र तथा अंकेक्षण निराकरण प्रतिवेदन पर तथा पंजीयक, सहकारी संस्थाओं की ओर से किसी संसूचना पर विचार करना ।

18.5 जब और जैसी आवश्यकता हो, उपविधियों में परिवर्धन, परिवर्तन एवं निरसन करना।

18.5.1 अन्य सहकारी समितियों में प्रतिनिधित्व करने हेतु यदि आवश्यक हो, प्रतिनिधियों का चुनाव करना ।

18.6 अध्यक्ष द्वारा अथवा उनकी अनुमति से लाये गये किसी अन्य विषय पर विचार करना।

18.7 साधारण सभा की विषय–सूची का सूचना–पत्र जिसमें बैठक के दिनांक, स्थान, एवं समय का उल्लेख होगा, लिखित में एम.पी.सी.डी.एफ. के सभी सदस्यों को कम से कम 14 दिन पहले भेजा जावेगा, बशर्ते कि वार्षिक साधारण सभा के संबंध में इस सूचना–पत्र के साथ वार्षिक, प्रशासनिक प्रतिवेदन, अंकेक्षण प्रतिवेदन (यदि प्राप्त हो तो) तथा वित्तीय पत्रकों को भी भेजा जावेगा ।

18.7.1 साधारण सभा के किसी सदस्य को ऐसा सूचना–पत्र प्राप्त न होने से किसी भी बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी ।

18.8 निम्न स्थितियों में पूर्व सूचना–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

18.8.1 विषय–सूची के कार्यों के क्रम में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव (मोशन)

18.8.2 बैठक के विघटन अथवा स्थगन हेतु प्रस्ताव।

18.8.3 विषय–सूची को अगली बैठक में पारित करने के संबंध में प्रस्ताव ।

18.8.4 विचाराधीन विषय को संचालक मण्डल को विचार विमर्श करने अथवा प्रतिवेदन देने के लिये भेजने हेतु प्रस्ताव ।

18.8.5 उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव । परन्तु किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने एवं उपविधियों में संशोधन हेतु प्रस्ताव बिना पूर्व सूचना के प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा ।

19.0 मताधिकार

19.1 प्रत्येक सदस्य को उसकी साधारण सदस्यता के आधार पर एक मत का अधिकार होगा, प्रतिपत्री (प्रॉक्सी) की अनुमति नहीं होगी ।

20.0 एस.पी.सी.डी.एफ. की विशेष साधारण सभा 14 दिन के नोटिस के साथ बुलाई जावेगी जिसमें बैठक के दिनांक, समय तथा स्थान के साथ–साथ बैठक को आयोजित करने के उद्देश्यों को बताया जावेगा।

20.1 साधारण सदस्यों की 50 प्रतिशत उपस्थिति उस बैठक की गणपूर्ति होगी ।

20.2 विशेष साधारण सभा ऐसे समस्त कार्य कर सकेगी जो कि सामान्य रूप से वार्षिक साधारण सभा द्वारा किया जाता हो ।

20.3 यदि किसी साधारण सभा में निर्धारित समय के 30 मिनिट के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है तो साधारण सभा, सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिनांक एवं समय के लिये स्थगित कर दी जावेगी । ऐसे दिनांक एवं समय से, उपस्थित सदस्यों को सूचित किया जावेगा । इस प्रकार स्थगित की गई सभा में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु पूर्व में जारी किये गये सूचना–पत्र में दर्शित विषयों के अलावा अन्य किसी विषय पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

21.0 सभा में बहुमत से निर्णय लिये जावेंगे, समान मतों की स्थिति में अध्यक्ष को अपने उन मतों के अतिरिक्त जिनकी उसे एक सदस्य के रूप में पात्रता है, एक निर्णायक मत देने का भी अधिकार होगा।

22.0 संचालक मंडल

22.1 संचालक मण्डल में निम्नानुसार संचालक होंगे ।

22.1.1 एम.पी.सी.डी.एफ. से सम्बद्ध दुग्ध संघों से एम.पी.सी.डी.एफ. हेतु निर्वाचित प्रतिनिधि एम.पी.सी.डी.एफ. के स्वतः संचालक होंगे ।

22.1.1.1 ऐसे दुग्ध संघ जिनमें नामांकित संचालक मण्डल/कामकाज समिति कार्यरत है, के नामांकित अध्यक्ष ।

22.1.2 राज्य शासन (डेयरी विभाग) के सचिव अथवा अपर सचिव।

22.1.3 राज्य शासन (वित्त विभाग)के सचिव अथवा अपर सचिव।

22.1.4 पंजीयक, सहकारी संस्थायें अथवा अपर पंजीयक, सहकारी संस्थायें ।

22.1.5 भारत शासन, संयुक्त सचिव (डेयरी विभाग) अथवा संचालक (डेयरी विभाग)

22.1.6 संचालक/अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, मध्य प्रदेश शासन ।

22.1.7 राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल का प्रतिनिधि ।

22.1.8 वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधि।

22.1.9 राज्य शासन (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) के सचिव।

22.1.10 एम.पी.सी.डी.एफ. का प्रबंध संचालक एवं पदेन सचिव ।

22.2 अध्यक्ष

22.2.1 विलोपित ।

22.2.2 विलोपित ।

22.2.3 अध्यक्ष का निर्वाचन संचालक मण्डल के निर्वाचित सदस्यों में से किया जायेगा । अध्यक्ष का कार्यकाल संचालक मण्डल के कार्यकाल के अनुरूप होगा ।

22.2.4 अध्यक्ष मानदेयी होगा ।

22.2.5 अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की जावेगी।

22.2.6 उपविधि क्रमांक 19 में निर्धारित किये अनुसार संचालक मंडल के प्रत्येक सदस्य को मताधिकार होगा । एम.पी.सी.डी.एफ. की वार्षिक साधारण सभा के पश्चात्त ही नया संचालक मंडल इन मताधिकारों का प्रयोग कर सकेगा ।

23.0 संचालक मंडल की सदस्यता की अवधि:–

जब कोई व्यक्ति दुग्ध संघ में किसी पद के कारण संचालक मंडल का सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह ऐसा पद धारण करना बंद कर देता है तथा उसका उत्तराधिकारी अपने आपसे संचालक मंडल में उसका स्थान ले लेता है।

24.0 किसी भी सदस्य को ऐसे किसी विषय की कार्यवाही में भाग लेने अथवा मत देने नहीं दिया जावेगा जिसमें उसका व्यक्तिगत अथवा अन्य कोई हित है ।

25.0 संचालक मंडल द्वारा अथवा संचालक मंडल के एक सदस्य के रूप में कार्य करते हुये किसी व्यक्ति के सभी कार्य इसके बावजूद भी वैध होंगे, यदि बाद में यह पता चले कि ऐसे मंडल अथवा व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि थी तथा उसके कार्य वैसे ही वैध माने जावेंगे जैसा मंडल अथवा वह व्यक्ति समुचित रूप से नियुक्त हुआ हो ।

26.0 संचालक मंडल की बैठक जितनी आवश्यकता हो, उतनी बार बुलाई जा सकेगी किन्तु प्रत्येक तीन माह में एक बार अवश्य बुलाई जावेगी ।

26.1 संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या के 1/3 या कम से कम पांच संचालकों की उपस्थिति पर गणपूर्ति मानी जावेगी ।

27.0 संचालक मंडल की विशिष्ट शक्तियां, अधिकार

27.1 इन उपविधियों के अन्तर्गत किसी बात के होते हुये भी संचालक मंडल को अधिनियम, नियम और इन उपविधियों एवं/अथवा कोई भी [illegible]

एफ. द्वारा उपर्युक्त रीति से बनाई जावे, के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां, अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात :–

27.1.1 एम.पी.सी.डी.एफ. के लिये ऐसे साम्पत्तिक अधिकार अथवा विशेषाधिकार, जिन्हें एम.पी.सी.डी.एफ. ऐसी कीमत पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर अर्जित करने के लिये प्राधिकृत हो, खरीदने, पट्टे पर लेने या अन्य रूप से अर्जित करना ।

27.1.2 पूंजीगत स्वरूप के निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिये प्राधिकृत करना ।

27.1.3 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति, अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों या एम.पी.सी.डी.एफ. को दी गयी सेवाओं के लिये पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से नगद रूप में अथवा एम.पी.सी.डी.एफ. के शेयरों, बंध–पत्रों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में भुगतान करना । ऐसे कोई भी अंश पूरी तरह समादत्त रूप में जारी किये जा सकते हैं या उन पर ऐसी रकम जो करार पाई जाए, आकलित की जा सकती है, और ऐसे कोई बंध–पत्र, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां या तो विनिर्दिष्ट रूप में या एम.पी.सी.डी.एफ. की संपूर्ण सम्पत्ति पर अथवा उसके किसी अंश पर और उसकी अनाहूत पूंजी पर भारित किये जा सकेंगे या इस प्रकार भारित नहीं भी किये जा सकेंगे ।

27.1.4 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा उसकी समस्त अथवा किसी सम्पत्ति और तत्समय प्रचलित उसके अनाहूत पूंजी के बंधक अथवा प्रभार द्वारा अथवा अन्य ऐसी रीति से जो उचित समझी जाय एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा किये गये अनुबंध या वचनबन्ध (इनगेजमेंटस) को पूरा कराने को सुनिश्चित करना ।

27.1.5 अपने विवेकानुसार ऐसे प्रबंधकों, सचिवों (सेक्रेटरियों) अधिकारियों, लिपिकों अभिकर्ताओं और कर्मचारियों का स्थायी, अस्थायी अथवा विशेष सेवाओं के लिये जिन्हें कि वे समय–समय पर उपयुक्त समझें, नियुक्ति करना, सेवा से हटाना या निलंबित करना, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य निर्धारित करना और उनके वेतन तथा परिलब्धियां निश्चित करना तथा ऐसी रकमों की, जिन्हें वे ऐसे मामलों में उपयुक्त समझें प्रतिभूतियों की अपेक्षा करना ।

इस संबंध में आवश्यक सेवा नियम तथा अन्य विनियम बनाना ।

27.1.6 किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को एम.पी.सी.डी.एफ. की निधि का प्रन्यास ट्रस्ट के रूप में रखने तथा लगाने इस संबंध में कार्य की अनुमति देना ।

27.1.7 एम.पी.सी.डी.एफ. अथवा उसके अधिकारियों अथवा अन्यथा रूप से एम.पी.सी.डी.एफ. के मामलों से संबंधित मामलों में एम.पी.सी.डी.एफ. के द्वारा या उसके विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही संस्थित करने, चलाने, प्रतिवाद करने,समझौता करने अथवा त्यागने और साथ ही एम.पी.सी.डी.एफ. के द्वारा या उसके विरूद्ध किन्हीं दावों अथवा मांगों का समझौता करना। एम.पी.सी.डी.एफ. के पक्ष में या उसके विरूद्ध किन्हीं भुगतानों अथवा क्लेम्स का निपटारा करने के लिये समय देना ।

27.1.8 एम.पी.सी.डी.एफ. के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध दावों या मांगों को पंचनिर्णय के लिये भेजना तथा पंचनिर्णयों का अनुपालन तथा कार्य संपन्न करना ।

27.1.9 एम.पी.सी.डी.एफ. की देय धनराशि तथा उसके दावों और मांगों के लिये रसीदें मोचन (release) अथवा उन्मोचन (discharge) तैयार करना और देना ।

27.1.10 एम.पी.सी.डी.एफ. की ओर से बिल, नोट, रसीद, प्रतिग्रहण, चैक, निर्मुक्तियां, अनुबंध तथा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिये किसी व्यक्ति या अधिकारी को प्राधिकृत करना ।

27.1.11 एम.पी.सी.डी.एफ. की ओर से अटर्नी या अभिकर्ता को नियुक्त करना तथा उनका अधिकार क्षेत्र तय करना और उनकी नियुक्ति संबंधी अन्य आवश्यक शर्तें तय करना।

27.1.12 एम.पी.सी.डी.एफ. की ओर से शासन द्वारा अनुमोदित संस्थानों या प्रतिभूतियों में विनियोजन करना, समय–समय पर उसमें आवश्यक फेरबदल (vary) करना और मोचन (release) करना ।

27.1.13 एम.पी.सी.डी.एफ. की ओर से तथा एम.पी.सी.डी.एफ. के नाम से किसी संचालक अथवा अन्य व्यक्ति के पक्ष में जो एम.पी.सी.डी.एफ. के हित में कोई व्यक्तिगत दायित्व उठा चुका हो या उठाने वाला हो एम.पी.सी.डी.एफ. की सम्पत्ति (वर्तमान तथा भावी) ऐसा कोई बंधक निष्पादित करना। ऐसे बंधक में विक्रय की शक्ति तथा अन्य ऐसी शक्तियां, प्रसंविदा तथा उपबंध सम्मिलित होंगे जिसे वे उचित समझे ।

27.1.14 एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को किसी विशेष व्यावसायिक लेन–देन पर हुये लाभ में कमीशन देना या एम.पी.सी.डी.एफ. के सामान्य लाभ में कोई अंश देना । लाभ में दिये गये ऐसे कमीशन या अंश एम.पी.सी.डी.एफ. के कामकाज संबंधी व्यय का एक हिस्सा माने जायेंगे ।

27.1.15 समय–समय पर एम.पी.सी.डी.एफ. तथा उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये कोई भी नियम बनाना । उनमें फेर बदल करना तथा उनको निरसित करना ।

27.1.16 एम.पी.सी.डी.एफ. के किसी कर्मचारी या उसकी विधवा, बच्चों अथवा आश्रितों के ऐसे क्लेम्स, पेंशन, उपदान अथवा प्रतिकर जो भी संचालक मंडल को उचित अथवा न्यायसंगत प्रतीत हो, देना प्रदान करना या इसकी अनुमति देना । भले ही ऐसे कर्मचारी, उसकी विधवा, उसके बच्चों अथवा आश्रितों का एम.पी.सी.डी.एफ. पर ऐसा कोई दावा बनता हो अथवा नहीं ।

27.1.17 लाभांश घोषित करने के पूर्व ऐसी पेंशनों, उपदानों अथवा प्रतिकर की व्यवस्था करना या ऐसी रीति में जिसे संचालक मंडल उपयुक्त समझे तथा भविष्य निधि अथवा हितकारी निधि का निर्माण करने के लिये एम.पी.सी.डी.एफ. के लाभ का ऐसा हिस्सा जिसे वे उचित समझें, अलग रखना ।

27.1.18 एम.पी.सी.डी.एफ. के प्रयोजनों के लिये किसी भी संबंध में, जिन्हें वे आवश्यक समझें एम.पी.सी.डी.एफ. के नाम से तथा उसकी ओर से बातचीत या अनुबंधों में भाग लेना और ऐसे सभी अनुबंधों का विखंडित करना और उनमें फेरबदल करना तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य और विलेख सम्पादित करना ।

27.1.19 अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों के प्रावधानों के अधीन तत्समय उसमें निहित पूर्ण या आंशिक शक्तियों, प्राधिकार या विवेक का प्रत्यायोजन करना ।

27.1.20 अंश एवं सदस्यता हेतु आवेदनों का निराकरण करना ।

27.1.21 अंश हस्तांतरण तथा सदस्यों के त्याग पत्र पर विचार कर निराकरण करना ।

27.1.22 वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय पत्रक, आगामी वर्ष का बजट व कार्य योजना स्वीकृत करना एवं साधारण सभा में पेश करना ।

27.1.23 अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा मुनाफा वितरण पर विचार करना व साधारण सभा को पेश करना ।

28.0 एम.पी.सी.डी.एफ. के व्यापार के समुचित संचालन के लिये अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुरूप सहायक नियम बनाना ।

29.0 एम.पी.सी.डी.एफ. के व्यापार संचालन के होते हुए [illegible]
संचालक मंडल के [illegible]

प्रबंध संचालक को छोड़कर अन्य किसी के द्वारा उपयोग में नहीं लाई जावेगी । प्रत्येक ऐसे विशेष दस्तावेज पर जिस पर यह मोहर लगाई जावेगी, व्यवस्थापक और प्रबंध संचालक अथवा अध्यक्ष (जैसा भी संचालक मंडल द्वारा तय किया जावे) द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जावेंगे ।

29.1 अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों को पद से हटाना ।

30.0 प्रबंध संचालक

30.1 एम.पी.सी.डी.एफ. के व्यवसाय के प्रबंध हेतु राज्य शासन द्वारा प्रबंध संचालक की नियुक्ति की जावेगी ।

30.2 एम.पी.सी.डी.एफ. का प्रबंध संचालक उसका प्रमुख कार्यकारी होगा और संचालक मंडल के नियंत्रण, निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगा ।

30.3 प्रबंध संचालक को संचालक मंडल द्वारा समय–समय पर जो भी अधिकार प्रदत्त किये जावेंगे, उनके अनुरूप वह एम.पी.सी.डी.एफ. का व्यवसाय एवं कार्य संपादित करेगा । यदि प्रबंध संचालक चाहे तो उन्हें संचालक मंडल द्वारा सौंपे गये अधिकारों को अपने अधिनस्थ अधिकारियों को सौंप सकेगा । किन्तु प्रबंध संचालक द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारियों को सौंपे गये/प्रदत्त किये गये अधिकारों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी संचालक मंडल को आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावेगी ।

31.0 एम.पी.सी.डी.एफ. सम्बद्ध दुग्ध संघों से जो दूध एवं वस्तुएँ क्रय करेगा व मूल्य भुगतान करेगा। वह तदर्थ भुगतान होगा तथा वित्तीय वर्ष के अंत में वास्तविक (अंतिम) मूल्य भुगतान की घोषणा करेगा । एम.पी.सी.डी.एफ. सम्बद्ध दुग्ध संघों को तदर्थ व घोषित वास्तविक (अंतिम) मूल्य भुगतान के अंतर को, यदि कोई हो तो, रिबेट के रूप में देना चाहे तो दे सकेगा। ऐसी राशियों को प्राप्तकर्ता दुग्ध संघ द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. के निर्देशानुसार उसकी निधियों में जमा किया जावेगा ।

32.0 लाभ का वितरण

32.1 वार्षिक साधारण सभा में शुद्ध लाभ का वितरण निम्न प्रकार से होगा :–

32.1.1 25% संचित निधि में ले जाया जावेगा ।

32.1.2 [illegible]

32.1.3 प्रदत्त अंशपूंजी पर लाभांश के रूप में 6.5% तथा पंजीयक की अनुमति से 9% तक लाभांश वितरित किया जावेगा ।

32.1.4 उपरोक्त प्रावधानों के बाद शुद्ध लाभ की अन्य आवश्यक कोषों में धनराशि ले जाने के पश्चात, शेष बची राशि को सामान्य निधि में ले जाया जावेगा तथा इसका उपयोग साधारण सभा के निर्णयानुसार सम्बद्ध दुग्ध संघों को उनके द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. से वस्तुओं के किये गये व्यवसाय के मूल्य के अनुपात में बोनस के रूप में अथवा उनके सदस्यों के वित्तीय, आर्थिक, सामाजिक, कृषि विकास व अनुसंधान एवं विकास कार्य में उपयोग किया जावेगा ।

33.0 अत्यावश्यकता की स्थिति में, किसी खास निर्णय का संचालक मंडल की बैठक आयोजित होने तक रोका जाना संभव न हो तो ऐसा निर्णय संचालक मंडल के सभी सदस्यों में प्रपत्रशील (सरक्युलेटिंग) प्रस्ताव के द्वारा लिया जावेगा तथा अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित एवं समुचित रूप से हस्ताक्षरित ऐसा प्रस्ताव वैसा ही प्रभावकारी एवं बंधनकारी होगा जैसे कि प्रस्ताव संचालक मंडल की बैठक में ही पारित किया गया हो ।

34.0 **रक्षित निधि.**

34.1 उपविधि क्रमांक 32.1 में वर्णित राशि के अतिरिक्त सभी प्रवेश शुल्क, दान (किन्तु विशिष्ट उद्देश्य के प्रयोजन से प्राप्त दान को छोड़कर) अंशों के बाएं धन से प्राप्त राशि, एवं दंड शुल्क (किन्तु कर्मचारियों से प्राप्त दंड शुल्क को छोड़कर) की राशि रक्षित निधि में ले जायी जायेगी ।

35.0 **लेखा एवं अभिलेख**

एम.पी.सी.डी.एफ. का **वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च** होगा । लेखा पुस्तकें एवं अन्य अभिलेख नियमों द्वारा विहित एवं पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट तरीके से रखे जावेंगे ।

36.0 सदस्य संघों की उपविधियों में किन्ही धाराओं के न होने पर अथवा परस्पर विरोधिता अथवा प्रतिकूलता की स्थिति में अधिनियम एवं नियमों के अधीन एम.पी.सी.डी.एफ. की उपविधियां प्रभावी (प्रचलित) होंगी ।

37.0 साधारण सभा के उपस्थित सदस्यों के **2/3 बहुमत** के बिना इन उपविधियों में कोई परिवर्तन अथवा निरसन नहीं किया जायेगा और न ही कोई परिवर्तन किया जावेगा । साधारण सभा को दिये जाने वाले सूचना-पत्र में [illegible]

निरसन का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा ऐसा संशोधन तब तक प्रभावशील नही होगा जब तक कि पंजीयक द्वारा अनुमोदित न कर लिया गया हो ।

36.0 इन उपविधियों में जहां किसी सदस्य को लिखित में सूचना पत्र देने की व्यवस्था हो वहां सदस्य दुग्ध संघ के पंजीकृत कार्यालय पर सूचना पत्र का भेजना ऐसे सूचना पत्र की पर्याप्त तामील समझी जावेगी।

हस्ताक्षर

अपर पंजीयक
वास्ते पंजीयक
सहकारी समितियां,मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश

क्रमांक/विप/[illegible]/ 2568   भोपाल, दिनांक 3/12/02

//आदेश//

मध्यप्रदेश [illegible] लिमिटेड भोपाल के पत्र क्रमांक [illegible]/2002/ दिनांक 29-10-02 द्वारा बैंक की उपविधि क्रमांक 22.1.1 में संशोधन हेतु प्रस्ताव [illegible] दिनांक 20-10-2002 में [illegible] मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम [illegible] में प्रेषित किया है। [illegible] के संशोधन से सहमत होते हुए मैं [illegible] पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल, मध्यप्रदेश [illegible] विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2417-[illegible]-15-62 दिनांक 16-6-62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 11 के अन्तर्गत [illegible] के उपविधि क्रमांक 22.1.1 में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन पंजीकृत करता हूँ।

([illegible])
पंजीयक
सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश

क्रमांक/विप/[illegible]/   भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1- [illegible] की ओर [illegible]।
2- [illegible] उपपंजीयक [illegible]।
3- [illegible]।

पंजीयक
सहकारी संस्थायें [illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

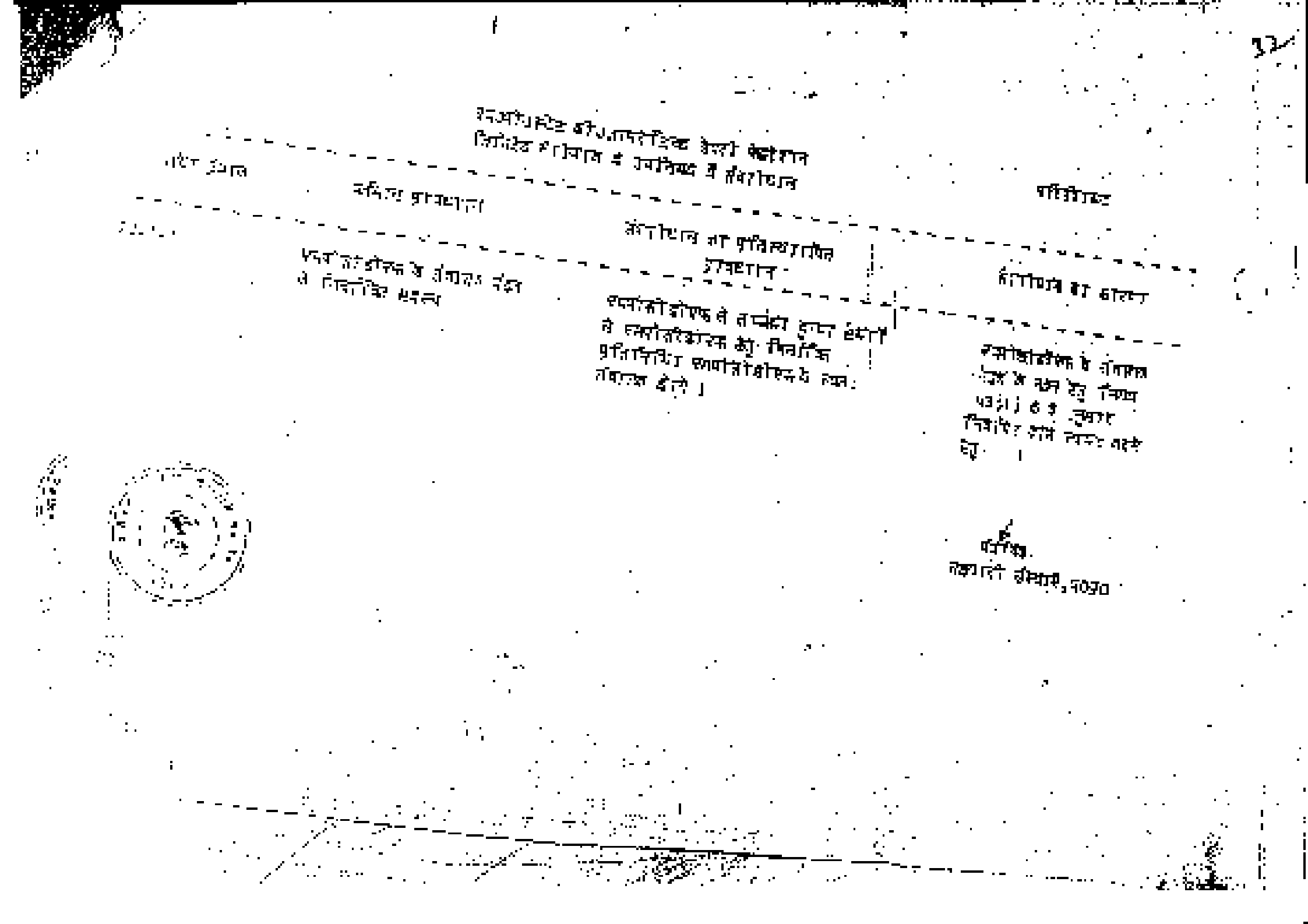

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, म.प्र.

विन्ध्याचल भवन, भोपाल

क्रमांक/विप/दु.सं./07/1546 भोपाल, दिनांक 6-6-07

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की विभिन्न धाराओं में हुये संशोधन के अनुरूप एम.पी.सी.डी.एफ. भोपाल की उपविधियों में संशोधन किये जाने हेतु इस कार्यालय के आदेश क्र./विप/दु.सं./07/269 दिनांक 13.03.07 द्वारा म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 12(1) के अन्तर्गत सूचना पत्र जारी किया गया है।

उक्त सूचना पत्र के तारतम्य में एम.पी.सी.डी.एफ. भोपाल के पत्र क्र./1959/एमपीसीडीएफ/स्थापना/07 दिनांक 21.4.07 द्वारा कतिपय बिन्दुओं के सुधार के संबंध में लेख किया गया। उपविधि क्रमांक 22.4, 28.5 के संबंध में उनकी आपत्ति मान्य करते हुए संशोधन की भाषा में आवश्यक सुधार किया गया तथा शेष आपत्तियाँ युक्तियुक्त न होने से अमान्य की गई।

म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/2417/XXV/15-62 दिनांक 15.6.62 द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं पी.डी. मिश्र अपर पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. एमपीसीडीएफ भोपाल की उपविधि क्रमांक 22.4 एवं 28.5 में एमपीसीडीएफ द्वारा दी गई टीप मान्य करते हुये म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 12(2) के अंतर्गत संलग्न प्रपत्र अनुसार एमपीसीडीएफ भोपाल की उपविधियों में संशोधन पंजीकृत करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जाता है।

(पी.डी. मिश्र)
अपर पंजीयक
सहकारी संस्थायें, म.प्र.

/दुग्ध/07/ 846   भोपाल, दिनांक 6-6-07

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पशुपालन विभाग, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, एम.पी.स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल।
3. प्रभारी अंकेक्षक, एम.पी.स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर पंजीयक
सहकारी संस्थायें,म.प्र.

[illegible]

संस्था का नाम : एम पी स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल (एम.पी.सी.डी.एफ.)

पंजीयन क्रमांक : भोपाल / मुख्यालय / 168, दिनांक 13.08.1980

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	संशोधन के कारण
1.2	एम.पी.सी.डी.एफ. का पंजीकृत पता 19–बी, महाराणा प्रताप नगर, झोन–2 पोस्ट भोपाल, तहसील हुजूर, जिला – भोपाल 462011 होगा।	एम.पी.सी.डी.एफ. का पंजीकृत पता दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग हबीबगंज भोपाल 462024 होगा	[illegible]
2.15	नवीन प्रावधान	[illegible]	[illegible]
2.4	"प्रबंध संचालक" से तात्पर्य है म.प्र. सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 49(ड) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति जिसे एम.पी.सी.डी.एफ. के अध्यक्ष के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन रहते हुए संचालक मण्डल द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. के कार्यकलापों का कार्य सौंपा गया है।	"प्रबंध संचालक" से तात्पर्य है म.प्र. सहकारी सोसायटी, अधिनियम 1960 की धारा 49(ड) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति जिसे एम.पी.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन रहते हुए संचालक मण्डल द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. के कार्यकलापों का कार्य सौंपा गया है।	[illegible]
5.2.11	अपने उत्पादन को स्वयं के व्यापार चिन्ह / मार्का में या सदस्य संघों के व्यापार चिन्ह / मार्का से विपणन करना। सदस्यों के हितों को प्रभावित किये बिना अन्य राज्य सहकारी महासंघ / फेडरेशन के ऐसे सभी उत्पादों का जिनका उत्पादन सदस्य दुग्ध संघों	अपने उत्पादन को स्वयं के व्यापार चिन्ह / मार्का में या सदस्य संघों के व्यापार चिन्ह / मार्का में विपणन करना। सदस्यों के हितों को प्रभावित किये बिना अन्य राज्य सहकारी महासंघ / फेडरेशन के ऐसे सभी उत्पादों का जिनका उत्पादन सदस्य दुग्ध संघों द्वारा नहीं	[illegible]

Sanjay Bhatnagar\Rules_D [illegible] .doc

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	संशोधन का [illegible]
	द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्रय/वितरण कर सीधे उनको / अपने या संयुक्त मार्का से विपणन की व्यवस्था कर अर्जित कार्य/कमीशन आदि प्राप्त करना।	किया जा रहा है, क्रय/वितरण कर सीधे उनको / अपने या संयुक्त मार्का से विपणन की व्यवस्था करना।	
11.5	अपनी देय राशियों का भुगतान करने में निरंतर (Persistant) त्रुटि करता है अथवा उपविधियों के किन्हीं प्रावधानों के पालन में त्रुटि करता है।	दुग्ध संघ अपनी देय राशियां जिनमें एम.पी.सी.डी.एफ. को देय राशियों की अदायगी [illegible] एवं प्रमाणित व्यय [illegible] हो, का निरंतर त्रुटि के लिए 12 माह से अधिक अवधि के लिए [illegible] अथवा उपविधियों के [illegible] प्रावधान के पालन में त्रुटि करता हो।	म.प्र. [illegible] अधिनियम [illegible]
	परन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव वैध नहीं माना जावेगा जब तक कि संबंधित सदस्य को प्रत्यक्ष रूप में या पंजीकृत डाक द्वारा उसे निष्कासित किये जाने के प्रस्ताव की 15 दिन पूर्व लिखित सूचना न दी गई हो और उस संबंध में संचालक मण्डल के समक्ष उसे सुने जाने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।	परन्तु प्रतिबंध यह है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव वैध नहीं माना जावेगा जब तक कि संबंधित सदस्य को प्रत्यक्ष रूप में या पंजीकृत डाक द्वारा उसे निष्कासित किये जाने के प्रस्ताव की 15 दिन पूर्व लिखित सूचना न दी गई हो और उस संबंध में संचालक मण्डल के समक्ष उसे सुने जाने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।	
22.1.1	एम.पी.सी.डी.एफ. से सम्बद्ध दुग्ध संघों के एम.पी.सी.डी.एफ. हेतु निर्वाचित प्रतिनिधि एम.पी.सी.डी.एफ. के स्वतः संचालक होंगे।	एम.पी.सी.डी.एफ. से सम्बद्ध प्रत्येक दुग्ध संघ से 01 [illegible]	[illegible]
	नवीन प्रावधान	टीप: म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 52 (बी) के अन्तर्गत निर्धारित संख्या में महिला सदस्यों के लिये पद आरक्षित होंगे।	म.प्र. [illegible] अधिनियम 1960 [illegible] अधिनियम 20[illegible] 40 में हुये [illegible]

[illegible]BhatnagarRules_[illegible]_MPCDF[illegible]

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	संशोधन का कारण
[illegible]		अ— निर्वाचित संचालकों के पदों का आरक्षण : (ख) 2 के लिये नियम की धारा 48(3)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त निर्धारित संख्या में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संचालकों के पदों का आरक्षण किया जायेगा, परन्तु यह और भी कि संचालक मण्डल में कम से कम एक—एक स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिये आरक्षित रखा जायेगा। इस प्रकार संचालकों के आरक्षित पदों के निर्वाचन के लिये रखे गये (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य आवेदकों से भरेगा। पदेन संचालक	कारण [illegible]
22.1.2	राज्य शासन (डेयरी विभाग) के सचिव अथवा अपर सचिव ।	राज्य शासन (पशुपालन विभाग) के प्रमुख सचिव / सचिव या उनके द्वारा नामांकित अपर सचिव	संचालक [illegible] नामांकित [illegible] की सीमा [illegible]
22.1.3	राज्य शासन (वित्त विभाग) के सचिव अथवा अपर सचिव	विलोपित	
22.1.4	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं अथवा अपर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं	पंजीयक सहकारी संस्थायें, अथवा उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त पंजीयक स्तर से नीचे न हो	संचालक [illegible] नामांकित [illegible] की सीमा [illegible]
22.1.5	भारत शासन, संयुक्त सचिव (डेयरी विभाग) अथवा संचालक (डेयरी विभाग)	भारत शासन, संयुक्त सचिव (डेयरी विभाग) अथवा संचालक (डेयरी विभाग)	संचालक [illegible] नामांकित [illegible] की सीमा [illegible]
22.1.6	संचालक / अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश शासन।	आयुक्त / संचालक / अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश शासन	संचालक [illegible] नामांकित [illegible] की सीमा [illegible]

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	[illegible]
22.1.5	राष्ट्रीय डेयरी विकास मण्डल का प्रतिनिधि	राष्ट्रीय डेयरी विकास मण्डल का प्रतिनिधि	नामांकित [illegible] सीमित [illegible]
22.1.8	वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधि	म.प्र. राज्य सहकारी बैंक का प्रतिनिधि	सहकारी [illegible] व्यवहार [illegible]
22.1.9	राज्य शासन (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) के सचिव	विलोपित ।	[illegible] सीमित [illegible]
22.1.10	एम.पी.सी.डी.एफ. का प्रबंध संचालक एवं पदेन सचिव।	एम.पी.सी.डी.एफ. का प्रबंध संचालक एवं पदेन सचिव।	--
22.2.4	अध्यक्ष मानसेवी होगा	अध्यक्ष मानसेवी होगा । नोट: एम.पी.सी.डी.एफ. में शासकीय पूंजी निवेश के नाते से शासन द्वारा धारा 52 के अंतर्गत शासकीय [illegible] के [illegible] [illegible] किया जायेगा।	[illegible]
22.2.7	नवीन प्रावधान।	कोई भी व्यक्ति एम.पी.सी.डी.एफ. के अध्यक्ष या सभापति अथवा उपाध्यक्ष या उप सभापति के रूप में निर्वाचित होने के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य है या जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति में कोई पद धारण करता है।	म.प्र. [illegible] अधिनियम [illegible] अधिनियम [illegible] 48 से हुये [illegible]
22.2.8	नवीन प्रावधान	कोई भी व्यक्ति एम.पी.सी.डी.एफ. के विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित होने या नियुक्त किये जाने के लिये पात्र नहीं होगा और [illegible] पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह एम.पी.सी.डी.एफ. में कोई विनिर्दिष्ट पद अपने सहयोजन या अपनी नियुक्ति या दोनों की कालावधि को सम्मिलित करते हुये [illegible] कार्यकालों तक या [illegible] वर्षों की लगातार	म.प्र. [illegible] अधिनियम [illegible] अधिनियम [illegible] 48 से हुये [illegible] [illegible]

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	संशोधन के औचित्य
		कालावधि तक, इनमें जो भी कम हो, धारण कर चुका हो। परन्तु किसी व्यक्ति को ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर तब तक पुनः निर्वाचित या पुनर्नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि एक पूर्ण कार्यकाल के बराबर की कालावधि का अवसान न हो गया हो, परन्तु इस प्रावधान के प्रयोजन के लिये यदि इनमें [illegible] किसी विनिर्दिष्ट पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे पद के उसके कार्यकाल के दौरान [illegible] में [illegible] हो तो उसके द्वारा [illegible] के लिये [illegible] उस [illegible] में यह [illegible] कि उसने अपनी पदावधि पूर्ण करली है.	
126	संचालक मण्डल के सदस्यों की संख्या 1/3 या कम से कम 5 संचालकों की उपस्थिति पर गणपूर्ति मानी जावेगी।	संचालक मण्डल के सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी जावेगी	[illegible]
26.2	नवीन प्रावधान	संचालक मंडल की सदस्यता एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के लिये योग्यताएं और अयोग्यताएं. कोई व्यक्ति एम.पी.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और अथवा पद धारण करने से प्रवारित हो जावेगा यदि वह ऐसी दिनांक से [illegible] की [illegible] की जाए, [illegible] हो और [illegible]	[illegible] नियम 1962 [illegible] [illegible] अधिनियम 1960 [illegible] अधिनियम 2005 [illegible]

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	संशोधन के कारण
[illegible]		सी.डी.एफ. किसी अन्य संस्था के संचालक मण्डल में अपने प्रतिनिधि के रूप में या अन्य संस्था में एम.पी.सी.डी.एफ. का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी सदस्य को निर्वाचित नहीं करेगी, यदि वह ऐसा निरर्हता से ग्रसित हो कि [illegible] प्रस्त है। परन्तु यदि कोई भी सदस्य इस [illegible] के अधीन विहित किसी निरर्हता से ग्रस्त है तो – (एक) एम.पी.सी.डी.एफ. के संचालक मण्डल के लिए यह नियमानुसार होगा कि वह उसे [illegible] को, जबकि वह एम.पी.सी.डी.एफ. का सदस्य रहते हुए संचालक के रूप में निर्वाचित हो जाता है एम.पी.सी.डी.एफ. की जानकारी में आने की तारीख से दो मास के भीतर उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् एक आदेश द्वारा उसे निरर्हित करे; (दो) यदि कोई सदस्य एम.पी.सी.डी.एफ. के प्रतिनिधि के रूप में उसके धारण करने के कारण निरर्हित हो जाता है तो एम.पी.सी.डी.एफ. उसे एम.पी.सी.डी.एफ. में [illegible] धारण करने के लिए निरर्हित करने की कार्यवाही करेगी, और यदि एम.पी.सी.डी.एफ. कार्यवाही करने में असफल रहती है रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा ऐसा पद धारण करने से निरर्हित करेगा। स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए	[illegible] [illegible] अधिनियम [illegible] 50 [illegible] जाना

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	[illegible]
		अभिव्यक्ति " निदेशक " के अंतर्गत किसी सोसायटी संचालक मण्डल के सदस्य या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए धारा [illegible] में विनिर्दिष्ट निरर्हता सम्मिलित नहीं होगी। (अ) कोई भी सदस्य एम.पी.सी.डी.एफ. के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में (निर्वाचित, नियोजित या नामनिर्देशन) की सदस्यता के लिए तथा एम.पी.सी.डी.एफ. का अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने के लिये योग्य नहीं होगा। तथा यदि वह संचालक या प्रतिनिधि निर्वाचित हो गया हो तो उस पद पर नहीं रह सकेगा यदि वह : (1) दिवालिया घोषित किये जाने के लिये आवेदक है या दिवालिया घोषित कर दिया गया है अथवा। (2) वह किसी ऐसे अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त न हो को छोड़कर, किसी अपराध के लिये दंडादिष्ट किया गया है और ऐसा दंडादेश समाप्त होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि व्यतीत न हुई हो। (3) पागल है, अथवा हो जाये अथवा (4) एम.पी.सी.डी.एफ. में किसी लाभ के पद पर है अथवा लाभ का पद स्वीकार कर ले अथवा, (5) इस प्रकार का व्यवसाय करता हो जो एम.पी.सी.डी.एफ. [illegible] हो अथवा (6) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 (बी) जिसमें संस्था को पहुंचाई गई हानि की वसूली हेतु उत्तरदायी	

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	[illegible]
		[illegible] गया हो, जो अथवा अधिमानित किया गया हो, अथवा इसी अधिनियम की धारा 19-बी के अधीन निरर्हित किया गया हो अथवा (7) एम.पी.सी.डी.एफ. के वैतनिक कर्मचारी के निकट संबंधी हो। निकट संबंधी होने से आशय है उन संबंधों से है जिनका वर्णन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 44 [illegible] में किया गया है, अथवा (8) [illegible] के द्वारा एम.पी.सी.डी.एफ. अथवा किसी सहकारी [illegible] के लिये [illegible] अथवा [illegible] 12 माह से अधिक [illegible] एम.पी.सी.डी.एफ. [illegible] किसी अन्य [illegible] पूर्ति की है या करे (9) [illegible] प्रत्याशी [illegible] के लिये [illegible] होने के लिए [illegible] उनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो। (10) इस उपविधि में वर्णित किसी भी पद पर निर्वाचित कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जायेगा, यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात एक संतान का जन्म हो जाता है जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है। (11) एम.पी.सी.डी.एफ. के पद पर निर्वाचित किया गया कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नहीं रह सकेगा जो किसी उधार / अग्रिम के लिए जो उसने लिया हो बारह माह से अधिक कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहता है।	

E:\Sanjay Bhatnagar\Kuss_D_rs MPCDF.doc

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	संशोधन [illegible]
[illegible]		(बी) एम.पी.सी.डी.एफ. के प्रबन्ध संचालक का यह दायित्व होगा कि कि एम.पी.सी.डी.एफ. के किसी मनोनीत के संबंध उन विधि में दर्शाई गई अर्हताओं में भी कोई अयोग्यता [illegible] ऐसे ही [illegible] संचालक मण्डल की [illegible] में [illegible] तथा संचालक मण्डल द्वारा ऐसे सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात 2 माह के भीतर संचालक मण्डल में [illegible] करने की कार्यवाही किया जावेगा। यदि एम.पी.सी.डी.एफ. द्वारा निर्धारित अवधि में यह कार्यवाही नहीं की जाती है तो [illegible] द्वारा ऐसे सदस्य को सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उसे पद धारण करने के लिये लिखित आदेश द्वारा अनर्ह घोषित किया जावेगा एवं संचालक मण्डल की आगामी बैठकों में [illegible] को [illegible] से बुलाया जाना बंद कर देगा।	
27.1.24	नवीन प्रावधान।	सदस्य दुग्ध संघों से एम.पी.सी.डी.एफ. को प्रशासनिक / स्थापना व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु [illegible] एवं [illegible] के निर्धारण [illegible]।	[illegible] सदस्य [illegible] की प्रतिपूर्ति हेतु।
31.1	नवीन प्रावधान	सचिव — संघ में प्रबंध संचालक की [illegible] हेतु सचिव की नियुक्ति [illegible] द्वारा [illegible]	[illegible] हेतु।

[34]

उपविधि क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधियों की शब्दावली	[illegible]
[illegible]		विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में से की जायेगी। ये मुख्य प्रबंध संचालक के सामान्य नियंत्रण व निर्देशन में कार्य करेंगे तथा प्रबंध संचालक की अनुपस्थिति में वे प्रबंध संचालक का कार्य भी देखेंगे।	